<u>तत्काल प्रकाशन के लिए</u>

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं 32 /2023)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 का मसौदा जारी कर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की ह ।

नई दिल्ली, 03 अप्रैल 2023: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) निरसन विनियम, 2023 का मसौदा जारी कर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।

2. ट्राई ने 10 दिसम्बर, 2001 को डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियम [Regulation on quality of service of Dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001)], अधिसूचित किया था। यह विनियम बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल सहित, सभी बुनियादी सेवा प्रचालकों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू है। सेवा की गुणवत्ता मापदंडों को निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क प्रदर्शन के मानदंडों को निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना था, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है; समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ इसकी तुलना करना ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।

3. यह देखा गया है कि ये नियम तब जारी किए गए थे जब डायल अप सेवा कम गति वाले इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपलब्ध एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, वायरलाइन और वायरलेस दोनों दूरसंचार नेटवर्क एक्सडीएसएल (xDSL), एफटीटीएच (FTTH), एलटीई (LTE) आदि, प्रौद्योगिकियों पर उच्च गति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं आम तौर पर इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदाताओं (IGSPs) (आईएसपी लाइसेंस धारक) द्वारा, उद्यमों को प्रदान की जाती हैं, यह एक सेवा स्तर समझौता (SLA based) आधारित सेवा है। एसएलए आधारित सेवा होने के नाते, अनुबंध करने वाले दलों के बीच समझौते में सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान होते हैं। इसलिए, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण आधिकारिक राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तारीख से डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 (2001 का 4) की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन [Regulation on quality of service of Dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001)], को निरस्त करने का इरादा रखता है।

5. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2022 विनियम का मसौदा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और 17 अप्रैल 2023 तक हितधारकों की टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए ट्राई के सलाहकार (सेवा की गुणवत्ता-1) श्री तेजपाल सिंह से ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है: adv-qos1@trai.gov.in या दूरभाष संख्या: +91-11-2323-3602 पर।

वि. रघुनंदन

(वि. रघुनंदन)
सचिव